संयुक्त स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट

प्रमाणित किया जाता है कि जंघई–प्रतापगढ़–अमेठी सेक्शन के (किमी0 सं0–924.000 से 934.450) जिला–अमेठी(उ0प्र0) में उत्तर रेलवे प्रस्तावित रेलवे ट्रैक की डब्लिंग कार्य में प्रभावित 6.1698 हे0 संरक्षित वन भूमि का संयुक्त निरीक्षण दिनांक 18.12.2020 को डा0 अनिरुद्व पाण्डेय, वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक,सा0वा0 सरयू क्षेत्र अयोध्या, श्री बी0के0पाण्डेय, प्रभागीय वनाधिकारी अमेठी व श्री राकेश कुमार,सहायक अधिशाषी अभियन्ता/निर्माण/पी0आर0जी0, उत्तर रेलवे, लखनऊ के साथ संयुक्त रुप से किया गया। प्रभावित क्षेत्र भू–क्षरण की दृष्टि से नगण्य रूप से संवेदनशील है। इसके अतिरिक्त प्रश्नगत क्षेत्र राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य, जैव मण्डल रिजर्व, बाघ रिजर्व, हाथी कारिडोर आदि का भाग नहीं है तथा किसी सुरक्षित पुरातत्वीय/पारम्परिक अथवा रक्षा प्रतिष्ठान या अन्य किसी महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित नहीं है। परियोजना हेतु प्रस्तावित क्षेत्र परियोजना के लिये अपरिहार्य एवं न्यूनतम है तथा कोई विकल्प उपलब्ध नहीं है। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन एवं पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार के इस सम्बन्ध में जारी निर्देशों का अक्षरशः पालन किया जायेगा। प्रस्तावित रेलवे ट्रैक की डब्लिंग कार्य में 6.1698 हे0 संरक्षित वन भूमि प्रभावित हो रही तथा विभिन्न प्रजाति के कुल 2816 वृक्ष बाधक है। सम्यक विचारोपरान्त पाया गया कि प्रश्नगत संरक्षित वन भूमि के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं है और मांगी गई वन भूमि योजना की आवश्यकता को देखते हुए न्यूनतम है।

18.12.2020
(राकेश कुमार)
सहायक अधिशाषी अभियन्ता/निर्माण/पी0आर0जी0
उत्तर रेलवे, लखनऊ

18/12/20
(बी0के0पाण्डेय)
प्रभागीय वनाधिकारी
सा0वा0 वन प्रभाग, अमेठी

(डा0 अनिरुद्ध पाण्डेय)
वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक
सा0वा0 सरयू क्षेत्र, अयोध्या